न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 44 / 2018

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी, किशनगढ .....प्रार्थी

बनाम

श्री नाथ किराना स्टोर, एन.एच. 79, सिलोरा रोड, किशनगढ जरिये अशोक नाथ पुत्र श्री मोहन नाथ, निवासी–तुलसी भवन के पीछे, वार्ड नं0 25, आजाद नगर, किशनगढ .....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 27.06.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 19.02.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग / घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा चाय बनाकर ग्राहको को कीमतन विक्रय करते पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से दो घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	8250	HPCL	15.9	15.9	Nil	Domestic
2	183431	HPCL	15	21	6	Domestic

को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः दो घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर के.जी.एन. गैस एजेन्सी के कार्मिक श्री इस्लामुद्दीन पुत्र श्री अब्दुल मजीद, निवासी पुराना शहर, किशनगढ को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा दोनो घरेलू सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। अप्रार्थी द्वारा सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

कार्यवाही को ड्रोप फरमायें जाने की कृपा करावें।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 19.02.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये दोनो घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि उक्त दोनो सिलेण्डर से उसका कोई संबंध सरोकार या लेना देना नही है और न ही उसके द्वारा एवं दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया गया है। वक्त निरीक्षण दुकान पर कार्य करने वाले कर्मचारी श्री मुकेश यादव के जबरन हस्ताक्षर करवाये गये है। अप्रार्थी स्वयं दुकान पर मौजूद नही था और न ही उसे इत्तला दी गई। उक्त दोनो सिलेण्डर कहां से जब्त किये गये है और किसके है इसकी जानकारी अप्रार्थी को नही है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज फरमाया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये दो घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर